न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023/64
मुकदमा नम्बर 200/2022 दर्ज दिनांक–23.12.2022

1. मंजू अग्रवाल पत्नी नन्दलाल चौधरी जाति महाजन निवासी मुकुन्दगढ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जालूराम माली निवासी ग्राम जांटवाली पोस्ट घोडीवारां उप तहसील मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू **(मृतक)**
   1/1 श्रीमती तारामणी पुत्र किशनलाल पत्नी ताराचन्द सैनी जाति माली निवासी ग्राम जाटंवाली पोस्ट घोडीवारां हाल आबाद वार्ड नं. 12 सैनीनगर चोबदारों की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
   1/2 महेश कुमार सैनी पुत्र किशनलाल सैनी
   1/3 प्रभुदयाल सैनी पुत्र किशनलाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम जाटंवाली पोस्ट घोडीवारां उप तहसील मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
2. शाखा प्रबन्धक ,बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ उप तहसील मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

वकील आवेदक : – श्रीमती पींकी शर्मा
वकील अनावेदक सं. 1/1 लगा. 1/3 :– श्रीमती सरोज
वकील अनावेदक सं. 2:– एक पक्षीय
वकील अनावेदक सं. 3:– पैरो. राज.

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.10.2024**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम जांटवाली पटवार हल्का घोडीवारां खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नं. 465/302 रकबा 0.51 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादिया का 22/73 हिस्सा दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है जिसमें वादिया का 22/51 हिस्सा दर्ज किया जावे।

वाद इस कदर पेश होने पर प्रतिवादी की तलबी जारी कि गई। प्रतिवादी सं. 1/1 लगा. 1/3 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया। अनावेदक सं. 2 व 3 कि और से कोई एतराज नही किया गया। श.वादी में मंजू अग्रवाल का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। वाद एक पक्षीय होने से तनकी कायमी आवश्यक नही रह जाती है।

बहस वकील वादी द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य अनुसार वादी का वाद साबित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम जांटवाली पटवार हल्का घोडीवारां खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नं. 465/302 रकबा 0.51 है0 के राजस्व रिकार्ड में जहाँ वादिया का हिस्सा 22/73 दर्ज है, के स्थान पर वादिया का हिस्सा 22/51 दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा शेष रही भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व से किसी खातेदार का हिस्सा बैंक रहन दर्ज है तो उक्त दुरूस्ती के पश्चात् भी उसका सम्पूर्ण हिस्सा बैंक रहन दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाकर अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2023 / 64 दर्ज दिनांक–23.12.2022

मुकदमा नम्बर 200 / 2022

(मंजू अग्रवाल बनाम किशनलाल वगै0)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम जांटवाली पटवार हल्का घोडीवारां खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नं. 465 / 302 रकबा 0.51 है0 के राजस्व रिकार्ड में जहॉ वादिया का हिस्सा 22 / 73 दर्ज है, के स्थान पर वादिया का हिस्सा 22 / 51 दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा शेष रही भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व से किसी खातेदार का हिस्सा बैंक रहन दर्ज है तो उक्त दुरूस्ती के पश्चात् भी उसका सम्पूर्ण हिस्सा बैंक रहन दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाकर अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। जन............–............... मुबलिग............–............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 18 माह 10 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned with CamScanner